प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2023**
प्र0इ0रि0 सं. 186 **/2023**..............................दिनांक 13/7/2023..............................

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण **अधि.(यथा संशोधित 2018)** .... धारायें..........**7**
(II) * अधिनियम.......... ....धारायें ....
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....784............... समय 7:15PM
(ब) * अपराध घटने का वार.....**बुधवार**......दिनांक....12.07.2023 समय 10.16 **ए.एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **07.07.2023**

4. सूचना की किस्म :–लिखित/मौखिक–**मौखिक व लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–82 किलोमीटर
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम श्री जगदीश प्रसाद कुलदीप
(ब) पिता/पति का नाम श्री रामदेव रेगर
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....उम्र 70 साल..
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**...
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....
(ल) पता – गांव अमरसर तहसील शाहपुरा जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– आरोपी श्री राजेश कुमार महला पुत्र श्री शुभराम जाट जाति जाट उम्र 34 साल पेशा नौकरी निवासी गांव माकडी पुलिस थाना सिंघाना जिला झुझुंनू हाल निवासी मकान न ए–15, गौरी विहार कालोनी पुलिस थाना मनोहरपुर के पीछे तहसील शाहपुरा हाल कनिष्ठ अभियता कार्यालय जयपुर विद्युत वितरण निगम 33/11 के.वी. सब स्टेशन अमरसर शाहपुरा जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.......................................
....———..

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
..........................रिश्वती राशि ......7500/– रूपये

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... रिश्वती राशि 7500/–

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

निवेदन है कि दिनांक 07.07.2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर चतुर्थ जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक मूलचन्द मीणा को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा उनके सामने बैठे एक व्यक्ति से मेरा परिचय करवाया, जिसने अपना नाम जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रामदेव

रेगर जाति रेगर उम्र करीब 70 साल निवासी गांव अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर होना बताया। इसके पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पृष्ठांकित कर मुझे अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया जिस पर मैने परिवादी व उसके प्रार्थना पत्र को लेकर मेरे कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी चतुर्थ जयपुर शहर जयपुर विषयः– कनिष्ठ अभियंता श्री राजेश महला J.V.V.N.L. अमरसर द्वारा कृषि कनेक्शन में लाईन सिफ्ट करने के सम्बंध में रिश्वत मांगने बाबत। महोदयजी, निवेदन है कि मे जगदीश प्रसाद कुलदीप निवासी गांव अमरसर त.शाहपुरा का रहने वाला हूँ। मेरी स्वयं की खातेदारी भूमि (पठानों का वास) में कृषि कनेक्शन हेतु J.V.V.N.L राडावास में आवेदन किया था, जिसका ऐस्टीमेट आने पर मैने एस्टीमेंट की राशि 25500/–रू. जमा करवा दिया था, रसीद प्राप्त कर लि गई थी, इसके बाद मैने J.E.N. अमरसर श्री राजेश महला से बार बार सम्पर्क किया तो उन्होने मुझे ठेकेदार को समय नही मिलने का बहाना किया। व एक दो दिन एक दो दिन करते करते लगभग 2–3 माह लटकाता रहे। मैने कहा मै परेशान हूँ मेरा काम बिजली कनेक्शन A.G. व डोमेस्टिक (मकान) लाईट का काम व पोल, ट्रांसफर रखना आदी का काम लटका रखा है। मेरे से J.E.N. अमरसर श्री राजेश महला ने काम जलदी करने व पूरा काम पोल वगैरा को रही तरीके से लगाना, लाईन को रास्ते रास्ते ले जाने बाबत मेरे से 20, हजार रू. में तय कर काम करने को कहा। इस काम को राजकोश में जमा राशि से अलावा 5800 रू. का खर्चा बता कर, 20 हजार रू. में तय कर लिया, तथा पैसे पहले देने के लिए बोला, तो मजबूर होकर 15000/– प्रन्द्राह हजार रू. एडवान्स दिये, 5000/– बाकी रखे। मैने कहा मेरा पुरा काम कर दो तब, बाकी 5000 पांच हजार और ले लेना किन्तु J.E.N. साहब नही मान रहे है बोलते है रूपये पहले दो तब ही पूरा काम होगा। में परेशान हुँ और 5000/– पांच हजार रू रिश्वत के नही दे सकता हूँ । अतः ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ रिश्वत के मामले में रगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी इनसे कोई दुश्मनी व रजिंश नही है। भवदीय एसडी जगदीश प्रसाद कुलदीप V.P. अमरसर शाहपुरा 07/07/2023 9950447563 । इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री जगदीश प्रसाद से पुनः नाम पता पूछा तो उसने पूर्व वाला अपना नाम पता बताया तथा मजिद दरियाफ्त करने पर बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे द्वारा हस्तलिखित है तथा परिवादी ने बताया कि मेरी स्वयं की खातेदारी भूमि (पठानों का वास) में कृषि कनेक्शन हेतु J.V.V.N.L राडावास में आवेदन किया था, जिसका ऐस्टीमेट आने पर मैने एस्टीमेंट की राशि 25500/–रू. जमा करवा दिया था, इसके बाद मै जेईएन श्री राजेश महला से सम्पर्क किया तो उसने ठेकेदार को समय नहीं होने का बहाना बनाया व एक दो दिन एक दिन कर टरकाता रहा। मैने कृषि कनेक्शन के बाद घरेलु कनेक्शन का भी आवेदन किया। उक्त दोनो कनेक्शन के लिए मै श्री राजेश महला जेईएन से तीन–चार दिन पहले ही मिला तो उसने एक सादे कागज पर कनेक्शन के संबंध में स्वयं द्वारा हस्तलिखित से खम्भे व लाईन के बारे में नक्शा बनाकर बताया तथा राजकीय खर्चा 58000 रूपये होना बताया और कहा कि आप मुझे 20,000 रूपये दे दोगो तो आपके 58000 रूपये नहीं लगेंगे तथा आपकी पुरानी लाईन को हटाकर नई लाईन के साथ सिफ्ट कर दूंगा। श्री राजेश महला जेईएन ने 20,000 रूपये की राशि स्वयं द्वारा हाथ से लिखी है। मैने कृषि कनेक्शन के डिमान्ड राशि 25500 रूपये जमा करा दिये थे उसकी रसीद मुझे नहीं मिली व घरेलु कनेक्शन की डिमान्ड राशि 2550 रूपये दिनांक 07.06.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त कर ली है। मेरी श्री राजेश महला कनिष्ठ अभियंता से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नही है तथा न ही कोई लेन देन शेष है। मै श्री राजेश महला कनिष्ठ अभियंता को रिश्वत लेते हुऐ को पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने बिजली कनेक्शन से संबंधित दस्तावेजों की फोटोप्रतियॉ स्वंय के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की। परिवादी से मजिद दरियाफ्त व प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है। इसलिये मांग सत्यापन करवाना आवश्यक है। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी में रखे हुये खाली डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाया जाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर हुये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी

श्री जगदीश प्रसाद को चालू व बंद करने की विधि समझाई गई। इसके पश्चात दिनांक 12.07.2023 को श्री इन्द्र सिंह कानि को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड भेजकर परिवादी श्री जगदीश प्रसाद से मिलकर मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाई जाने पर आरोपी श्री राजेश कुमार महला कनिष्ठ अभियंता द्वारा 7500 रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। इसके पश्चात दिनांक 13.07.2023 को समय 6.30 ए.एम पर एसीबी स्टॉफ व परिवादी श्री जगदीश प्रसाद कुलदीप उपस्थित कार्यालय आये तथा पूर्व में पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार व श्री उत्तम सिंह श्रीमाली उपस्थित आये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रमल हाल प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, झालाना, जयपुर, व दूसरे ने अपना नाम श्री उत्तम सिंह पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, हाल प्रयोगशाला सहायक, कार्यालय भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, झालाना, जयपुर होना बताया। इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाह से ट्रैप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने पृथक पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान करने पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया गया तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान् व परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री जगदीश प्रसाद को संदिग्ध आरोपी श्री राजेश महला कनिष्ठ अभियंता कार्यालय जयपुर विद्युत वितरण निगम अमरसर तहसील शाहपुरा जयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी जगदीश प्रसाद ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 रूपये के 15 नोट कुल राशि 7500/–रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा पेशशुदा नोटो को स्वतंत्र गवाहान को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर, नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री प्रतीक कुमार मील कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर कमरे में रखी टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच–पांच सौ रूपये के 15 नोट कुल 7500 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री प्रतीक कुमार मील कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थैलीन पॉउडर लगवाया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री जगदीश प्रसाद की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार से लिवायी गयी, परिवादी के पास कपडों, आधार कार्ड व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन छोडा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही मिली। तत्पश्चात परिवादी श्री जगदीश प्रसाद की पहने हुऐ पेन्ट की सामने की नीचे की दाहिनी तरफ की जेब में श्री प्रतीक कुमार मील कनिष्ठ सहायक से रिश्वत राशि 7500 रखवाये गये व परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया। उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया व श्री प्रतीक कुमार मील से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया तथा श्री प्रतीक कुमार मील को कार्यालय में ही छोडा गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक श्री मूलचन्द मीणा मय श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक न 09, श्री ओमप्रकाश कानि नं. 438, श्रीमती रजनी मीणा मकानि 127, श्री इन्द्र सिंह कानि न 148, श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्री सफी मोहम्मद कानि न 173 व स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार व श्री उत्तम सिंह तथा परिवादी श्री जगदीश प्रसाद एंव लैपटॉप प्रिन्टर मय ट्रैप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ मय सरकारी वाहन मय चालक एसीबी कार्यालय से अमरसर के लिए रवाना होकर अमरसर बिजली विभाग के कार्यालय के आसपास पहुॅचकर वाहनों को साईड में खड़ा करवाया व जहां पर समय 10.06 एएम पर परिवादी श्री जगदीश प्रसाद को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर आरोपी श्री राजेश कुमार महला कनिष्ठ अभिंयता को रिश्वत राशि देने के लिए कार्यालय जेवीवीएनएल 33/11 केवी सब स्टेशन अमरसर शाहपुरा जयपुर के लिए रवाना किया तथा श्री इन्द्र सिंह कानि व श्री दिनेश कुमार स्वतंत्र गवाह को पीछे पीछे रवाना कर मन्

पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री उत्तम सिंह व शेष ट्रैप पार्टी सदस्य कार्यालय जेवीवीएनएल 33/11 केवी सब स्टेशन अमरसर शाहपुरा जयपुर के आस–पास गोपनीय रूप से मुकिम हुए। तत्पश्चात समय 10.16 एएम पर परिवादी श्री जगदीश प्रसाद ने कार्यालय जयपुर विद्युत वितरण निगम 33/11 के.वी. सब स्टेशन अमरसर शाहपुरा जयपुर से बाहर निकलकर पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेर ईशारा किया, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक हमराही जाप्ता व स्तवंत्र गवाहान को साथ लेकर परिवादी के पास पहुँचा तथा परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके पश्चात परिवादी ने बताया कि मै कार्यालय जयपुर विद्युत वितरण निगम 33/11 के.वी. सब स्टेशन अमरसर शाहपुरा जयपुर के अन्दर गया, जहां पर श्री राजेश कुमार महला कनिष्ठ अभियंता अपने कक्ष में बैठे मिले जहां पर उन्होने मेरे से अभी अभी अपने मांग के अनुशरण में 7500/– रूपये प्राप्त कर अपने पहने हुई पेन्ट के पीछे की जेब में रख लिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराही जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार व श्री उत्तम सिंह एवं परिवादी को साथ लेकर कार्यालय जयपुर विद्युत वितरण निगम 33/11 के.वी. सब स्टेशन अमरसर शाहपुरा जयपुर के अन्दर प्रवेश किया तो एक व्यक्ति कार्यालय के पोर्च में पेन्ट शर्ट पहने हुऐ कुर्सी पर बैठा मिला, जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही श्री राजेश *कुमार* महला कनिष्ठ अभियंता है जिन्होने अभी अभी मेरे से मेरे घर व कुषि भूमि का बिजली कनेक्शन करने की एवज में 7500 रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रख लिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं व स्वतंत्र गवाहान एंव एसीबी टीम का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजेश महला पुत्र श्री शुभराम जाट जाति जाट उम्र 34 साल पेशा नौकरी निवासी गांव माकडी पुलिस थाना सिंघाना जिला झुझुंनू हाल निवासी मकान न ए–15, गौरी विहार कालोनी पुलिस थाना मनोहरपुर के पीछे तहसील शाहपुरा हाल कनिष्ठ अभिंयता कार्यालय जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड 33/11 केवी सब स्टेशन अमरसर शाहपुरा जयपुर होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री राजेश कुमार महला कनिष्ठ अभियंता को परिवादी श्री जगदीश प्रसाद से रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री राजेश कुमार महला कनिष्ठ अभियंता घबराह गया तथा गर्दन नीचे कर ली। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजेश कुमार महला से पुनः तसली देकर पूछा तो आरोपी श्री राजेश कुमार महला ने बताया कि श्री जगदीश प्रसाद जी ने अपने कृषि भूमि व घर पर बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन किया था उक्त कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा बिजली की डी.पी.लगना शेष है तथा इनकी बात ठेकेदार श्री भरत बराला से हुई है उन्होने ही पैसे मांगे है मैने कोई पैसे नही मांगे है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजेश कुमार महला के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर श्री राजेश कुमार महला के मोबाईल नम्बर 9413390392 से ठेकेदार श्री भरत बराला के मोबाईल नम्बर 9667761755 पर समय 10.47 एएम पर मोबाईल पर वार्ता करवाई तो उसने कोई प्रत्यूत्तर नहीं दिया। उक्त वार्ता को कार्यालय के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। इसके पश्चात परिवादी श्री जगदीश प्रसाद ने आरोपी श्री राजेश कुमार महला की बातों का खंडन करते हुई कहा कि श्री राजेश कुमार महला कनिष्ठ अभियंता झूठ बोल रहे है, मेरी स्वयं की खातेदारी भूमि (पठानों का वास) में कृषि कनेक्शन हेतु J.V.V.N.L राडावास में आवेदन किया था, जिसका ऐस्टीमेट आने पर मैने एस्टीमेंट की राशि 25500/–रू. जमा करवा दिया था, इसके बाद मै जेईएन श्री राजेश महला से सम्पर्क किया तो उसने ठेकेदार को समय नहीं होने का बहाना बनाया व एक दो दिन एक दिन कर टरकाता रहा। मैने कृषि कनेक्शन के बाद घरेलु कनेक्शन का भी आवेदन किया। उक्त दोनो कनेक्शन के लिए मै श्री राजेश कुमार महला जेईएन से तीन–चार बार मिला तो उसने एक सादे कागज पर कनेक्शन के संबंध में स्वयं द्वारा हस्तलिखित से खम्भे व लाईन के बारे में नक्शा बनाकर बताया तथा राजकीय खर्चा 58000 रूपये होना बताया और कहा कि आप मुझे 20,000 रूपये दे दोगो तो आपके 58000 रूपये नहीं लगेंगे तथा आपकी पुरानी लाईन को हटाकर नई लाईन के साथ सिफ्ट कर दूंगा। श्री राजेश महला जेईएन ने 20,000 रूपये की राशि स्वयं द्वारा

हाथ से लिखी तथा मेरे से पैसों की मांग करी तो मै घबराह गया तथा उसी समय आरोपी श्री राजेश कुमार महला ने मेरे से 15000 रूपये ले लिये थे। मैने कृषि कनेक्शन के डिमान्ड राशि 25500 रूपये जमा करा दिये थे उसकी रसीद मुझे नहीं मिली व घरेलु कनेक्शन की डिमान्ड राशि 2550 रूपये दिनांक 07.06.2023 को जमा कराकर रसीद प्राप्त कर ली है। इसके पश्चात मै दिनांक 07.07.2023 को एसीबी कार्यालय में जाकर प्रार्थना पत्र दिया जिस पर दिनांक 11.07.2023 को मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री राजेश कुमार महला ने पूर्व में 15000 रूपये प्राप्त करने की सहमति दी तथा और 7500 रूपये की रिश्वती राशि की मांग करने पर मेरे से 7500 रूपये प्राप्त कर अपने पहनी हुई पेन्ट की पीछे की जेब में रख लिये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री जगदीश प्रसाद द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री राजेश कुमार महला के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R–1 व R–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी राजेश कुमार महला के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L–1 व L–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान श्री उत्तम सिंह से आरोपी श्री राजेश कुमार महला कनिष्ठ अभियंता की तलाशी लिवाई गई तो स्वतंत्र गवाह श्री उत्तम सिंह ने आरोपी श्री राजेश कुमार महला की पहने हुई पेन्ट की पीछे की दाहिने जेब से 500–500 सौ रूपये के 13 नोट निकाले, जिनको दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 सौ रूपये के 13 नोट पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो उक्त 13 नोट के नम्बर हुबहू होना पाये गये। उक्त रिश्वती राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 SC 925680
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 BD 372115
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 FQ 458452
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0 DS 166164
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9 CR 368354
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3 BH 734997
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 KS 603776
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6 QM153295
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 CW 252988
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1 BF 038921
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8 RT 086841
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 AQ 169495
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 MV 573888

उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 13 नोट कुल 6500 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर

नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री उत्तम सिंह से श्री राजेश कुमार महला की पहने हुई पेन्ट की सामने की बायी साईड की जेब की तलाशी लिवाई गई तो उसने बायी जेब से 500–500 सौ रूपये 02 नोट निकालकर पेश किये, जिनको दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500–500 सौ रूपये के 02 नोट पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर हुबहू होना पाये गये होना पाई गई। उक्त रिश्वती राशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4 NL 150836
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2 KQ 841126

उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 02 नोट कुल 1000 रूपयों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त रिश्वती राशि अलग अलग मिलने के बारे में श्री राजेश कुमार महला कनिष्ठ अभियंता से पूछा गया तो उसने बताया कि 1000 रूपये अलग सवामणी के लिए निकाले थे। तत्पश्चात आरोपी श्री राजेश कुमार महला कनिष्ठ अभियंता के लिए पेंट की व्यवस्था की गयी व आरोपी की पहनी पेंट को सम्मानजनक उतरवायी जाकर दूसरी पेंट पहनायी गयी। परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री राजेश कुमार महला की पहनी हुई पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब को उल्टा कर मिश्रण में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क PBP(R) -1 व PBP(R) -2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त विधि से ही दूसरे साफ कांच के गिलास मे स्वच्छ पानी मंगवाकर उसमे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री राजेश कुमार महला की पहनी हुई पेंट की आगे की बायीं साईड की जेब को उल्टा कर मिश्रण में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशियों मे आधा–आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क PFP(L) -1 व PFP(L) -2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके बाद आरोपी की पहनी हुई पेंट को सुखाकर आगे की बांयी साईड की जेब व पीछे की दाहिनी साईड की जेब पर स्वतंत्र गवाहान व संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखा जाकर सील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित जब्त कर कब्जा एसीबी ली गयी। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत एक सादा कागज जिस पर राजेश महला जेईएन ने परिवादी के बिजली कनेक्शन के संबंध में स्वयं द्वारा हस्तलिखित से खम्भे व लाईन के बारे में नक्शा बनाकर तथा राजकीय खर्चा 58000 रूपये होना बताया और कहा कि आप मुझे 20,000 रूपये दे दोगो तो आपके 58000 रूपये नहीं लगेंगे तथा आपकी पुरानी लाईन को हटाकर नई लाईन के साथ सिफ्ट कर दूंगा। श्री राजेश महला जेईएन ने 20,000 रूपये की राशि स्वयं द्वारा हाथ से लिखी है। उक्त कागज के बारे में श्री राजेश कुमार महला कनिष्ठ अभियंता को यह पूछा कि उक्त आप द्वारा हस्तलिखित है क्या। इस पर श्री राजेश कुमार महला ने कहा कि उक्त हस्तलिखित मेरी है तथा क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। उक्त कागज पर परिवादी व आरोपी श्री राजेश कुमार व स्वतंत्र गवाहान के हस्क्षतार करवाये गये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.07.2023 व लेन देन वार्ता दिनांक 12.07.2023 जो डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है जिसको लैपटॉप की

सहायता से चलाकर सुनाया गया तो परिवादी श्री जगदीश प्रसाद ने एक आवाज अपनी व आरोपी श्री राजेश कुमार महला ने दूसरी आवाज स्वयं की होना व दोनो ने आपस में एक दूसरे की आवाज होना बताया। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि व हाथ धुलाई मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजेश कुमार महला को आवाज नमूना देने के लिये नोटिस दिया जाने पर आरोपी श्री राजेश कुमार महला ने अंकित किया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हूँ। उक्त आवाज नमूना के नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी आरोपी श्री राजेश कुमार महला को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात दिनांक 13.07.2023 को परिवादी श्री जगदीश प्रसाद व स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार व श्री उत्तम सिंह की उपस्थिति में दिनांक 11.07.2023 की मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 12.07.2023 की लेने व मोबाईल पर हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई जाकर पृथक पृथक सीडीयॉ तैयार कर सील मोहर की गई व मेमोरी कार्ड 32 जीबी sandisk कम्पनी को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क SD अंकित कर वजह सबूत जप्त किया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई व जप्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द निरीक्षण घटनास्थल, फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन–देन वार्त एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री राजेश कुमार महला पुत्र श्री शुभराम जाट जाति जाट उम्र 34 साल पेशा नौकरी निवासी गांव माकडी पुलिस थाना सिंघाना जिला झुझुंनू हाल निवासी मकान न ए–15, गौरी विहार कालोनी पुलिस थाना मनोहरपुर के पीछे तहसील शाहपुरा हाल कनिष्ठ अभिंयता कार्यालय जयपुर विद्युत वितरण निगम 33/11 के.वी. सब स्टेशन अमरसर शाहपुरा जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एंव कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुऐ परिवादी श्री जगदीश प्रसाद की खातेदारी भूमि व मकान पर बिजली कनेक्शन करने की एवज में आरोपी श्री राजेश कुमार महला द्वारा 20,000 रूपये की मांग कर पूर्व में 15000 रूपये प्राप्त करना तथा दिनांक 11.07.2023 को मांग सत्यापन के दौरान 7500 रूपये लेने में सहमति देना तथा दिनांक 12.07.2023 को लेन देन के समय अपनी मांग के अनुशरण में रिश्वती राशि 7500 रूपये प्राप्त करना पाये जाने से आरोपी श्री राजेश कुमार महला पुत्र श्री शुभराम जाट जाति जाट उम्र 34 साल पेशा नौकरी निवासी गांव माकडी पुलिस थाना सिंघाना जिला झुझुंनू हाल निवासी मकान न ए–15, गौरी विहार कालोनी पुलिस थाना मनोहरपुर के पीछे तहसील शाहपुरा हाल कनिष्ठ अभिंयता कार्यालय जयपुर विद्युत वितरण निगम 33/11 के.वी. सब स्टेशन अमरसर शाहपुरा जयपुर के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित की गई।

(मूलचंद मीना)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर–चतुर्थ जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मूलचंद मीना, पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेश कुमार महला पुत्र श्री शुभराम जाट, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय जयपुर विद्युत वितरण निगम 33/11 के.वी. सब स्टेशन अमरसर शाहपुरा, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 186/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 2309-12 दिनांक 13.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर।
2. सचिव(प्रशासन) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।